

परिषद की आगरा जोन के अन्तर्गत आगरा, बुलन्दशहर, शिकोहाबाद, फिरोजाबाद, हाथरस, मथुरा, मैनपुरी एवं कासगंज में आवासीय एवं व्यवसायिक सम्पत्तियों को लेने का सुनहरा मौका

आवंटन/नीलामी
दिनांक: 28.09.2012
समय: प्रातः 10:30 बजे

नीलामी/आवंटन सूचना

'जहाँ है, जैसी है' के आधार पर नीलामी से निस्तारित होने वाली आवासीय/अवासीय सम्पत्तियाँ

स्थल:
**एफ-42, सिन्धु भवन,
कमलानगर, आगरा**

नीलामी द्वारा निस्तारित की जाने वाली आवासीय सम्पत्तियाँ (श्रेणी-ए)

सिकन्दरा योजना आगरा

सेक्टर संख्या	सम्पत्ति श्रेणी/ प्रकार/ सम्पत्ति संख्या	कुल रिक्त सम्पत्ति संख्या	क्षेत्रफल वर्ग मी० में	सम्पत्ति का अनुमानित मूल्य/ आरक्षित मूल्य (फ्री-होल्ड सहित) रु० लाख में प्रति वर्ग मी०
2 सी 4	उच्च आय वर्ग आवासीय भूखण्ड	(63/162) 2सी/212 (कार्னர்) (01 नग) डी-2/4	369.12 व०मी० 189.00 व०मी०	रु० 58.36 लाख रु० 12,320.00 प्र०व०मी०

कासगंज योजना

2	आवासीय भूखण्ड	(01 नग) 2/345	127.50 व०मी०	रु० 5,040/- प्र०व०मी०
	आवासीय भूखण्ड	(01 नग) 2/514	133.50 व०मी०	रु० 5,040/- प्र०व०मी०

लाटरी/आवंटन द्वारा निस्तारित की जाने वाली आवासीय सम्पत्तियाँ (श्रेणी-बी)

हाथरस योजना

1 व 2	दु०आ०वर्ग भवन	(02 नग) (18/40) 133 एवं 374	41.31 व०मी०	रु० 3.09 लाख
-------	---------------	-----------------------------	-------------	--------------

नीलामी द्वारा निस्तारित की जाने वाली व्यावसायिक सम्पत्तियाँ

सिकन्दरा योजना, आगरा

सेक्टर संख्या	सम्पत्ति श्रेणी/ प्रकार/ सम्पत्ति संख्या	कुल रिक्त सम्पत्ति संख्या	क्षेत्रफल वर्ग मी० में	सम्पत्ति का अनुमानित मूल्य/ आरक्षित मूल्य (फ्री-होल्ड सहित) रु० लाख में प्रति वर्ग मी०
16 ए 3	व्यासायिक भूखण्ड हेल्थ सेन्टर सामुदायिक केन्द्र	12डी-एस1 (कार्னர்) (ओ.बी.सी.) 12डी/एस-2 (सामान्य) 12डी/एस-3 (एस०सी०) 12डी/एस-4 (कार्னர்) 16ए/एच-सी-1 (कार्னர்) सीसी-3/1 (कार्னர்) (लीज पर)	368.64 व०मी० 243.80 व०मी० 213.69 व०मी० 186.72 व०मी० 1034.40 व०मी० 1266.84 व०मी०	रु० 27104/- प्र०व०मी० रु० 24640/- प्र०व०मी० रु० 24640/- प्र०व०मी० रु० 27104/- प्र०व०मी० रु० 20328/- प्र०व०मी० रु० 13552/- प्र०व०मी०

शिकोहाबाद योजना

2	कम्प्यूनिटी सेन्टर	2बी/सीसी-1	2460.00 व०मी०	रु० 4840/- प्र०व०मी०
2	हेल्थ सेन्टर	2बी/एचसी-1	3292.50 व०मी०	रु० 7392/- प्र०व०मी०

कासगंज योजना

4ए	संस्थागत भूखण्ड	(02 नग) पोस्ट ऑफिस हेतु एवं बैंक हेतु भूखण्ड	8.00 व०मी०	रु० 7560/- प्र०व०मी०
4ए	सामुदायिक केन्द्र	(01 नग) 4ए/सीसी-1 (लीज पर)	2778.13 व०मी०	रु० 5445/- प्र०व०मी०

मैनपुरी योजना

3	नर्सिंग होम भूखण्ड	3/1 (कार्னர்)	817.50 व०मी०	रु० 8870/- प्र०व०मी०
		3/2	789.75 व०मी०	रु० 8064/- प्र०व०मी०
		3/3	772.69 व०मी०	रु० 8064/- प्र०व०मी०
6	संस्थागत भूखण्ड	6/आई०एन०एस०-5	1580.00 व०मी०	रु० 8064/- प्र०व०मी०

कमला नगर योजना

सेक्टर संख्या	सम्पत्ति श्रेणी/ प्रकार/ सम्पत्ति संख्या	कुल रिक्त सम्पत्ति संख्या	क्षेत्रफल वर्ग मी० में	सम्पत्ति का अनुमानित मूल्य/ आरक्षित मूल्य (फ्री-होल्ड सहित) रु० लाख में प्रति वर्ग मी०
एफ	दुकाने	(02 नग) एफ-958/6, 958/7 (01 नग) एफ-958/1 (01 नग) एफ-958/8 (01 नग) बी-15	8.16 व०मी० 7.92 व०मी० 8.56 व०मी० 10.32 व०मी०	रु० 4.60 लाख प्रति नग रु० 4.41 लाख रु० 4.82 लाख रु० 6.52 लाख

सिकन्दरा योजना, आगरा

सेक्टर संख्या	सम्पत्ति श्रेणी/ प्रकार/ सम्पत्ति संख्या	कुल रिक्त सम्पत्ति संख्या	क्षेत्रफल वर्ग मी० में	सम्पत्ति का अनुमानित मूल्य/ आरक्षित मूल्य (फ्री-होल्ड सहित) रु० लाख में प्रति वर्ग मी०
3ए 4 4आर	व्याव० भूखण्ड	3ए/कॉम-21, 3ए/कॉम-24, 3ए/कॉम-25, (01 नग) ए-काम (कार्னர்)	580.00 व०मी० 4486.60 व०मी० 384.23 व०मी०	रु० 24640/- प्र०व०मी० रु० 27104/- प्र०व०मी० रु० 27104/- प्र०व०मी०
4आर	व्याव० भूखण्ड	4आर/कॉम-101 (कार्னர்), 4 आर/कॉम-106 (कार्னர்) (अनु० जा० हेतु)	299.40 व०मी०	रु० 24640/- प्र०व०मी०
		4आर/कॉम-108 (अनु० जा० हेतु)	299.40 व०मी०	रु० 24640/- प्र०व०मी०
		4आर/कॉम-103, 4 आर/कॉम-109 (अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु)	299.40 व०मी०	रु० 24640/- प्र०व०मी०
		4आर/कॉम-102 (वरिष्ठ नागरिक सामान्य)	299.40 व०मी०	रु० 24640/- प्र०व०मी०
		4आर/कॉम-104, 4आर/कॉम-105, 4आर/कॉम-110, 4आर/कॉम-111 (अनारक्षित)	299.40 व०मी०	रु० 24640/- प्र०व०मी०
		4आर/कॉम-107 (कार्னர்) (अनारक्षित)	379.24 व०मी०	रु० 27104/- प्र०व०मी०
		4आर/कॉम-112 (कार्னர்) (अन्य पिछड़ा वर्ग)	379.24 व०मी०	रु० 27104/- प्र०व०मी०
8	व्याव० भूखण्ड	एस-3/1 एस-3/2 (कार्னர்)	561.12 व०मी० 480.06 व०मी०	रु० 24640/- प्र०व०मी० रु० 27104/- प्र०व०मी०

13	व्याव० भूखण्ड	3/2 (कार्னர்) (सामान्य हेतु) 3/3 (कार्னர்) (अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु) 13बी/काम/पी-1 (कार्னர்) सी-1/9	60.08 व०मी० 105.53 व०मी० 936.00 व०मी० 360.00 व०मी०	रु० 27104/- प्र०व०मी० रु० 27104/- प्र०व०मी० रु० 27104/- प्र०व०मी० रु० 24640/- प्र०व०मी०
14 16ए 16बी	व्याव० भूखण्ड	14/सीपी-10.4 (कार्னர்) 16ए/काम-1 (कार्னர்) जीएच-1/16बी (कार्னர்)	635.36 व०मी० 1477.30 व०मी० 9152.24 व०मी०	रु० 27104/- प्र०व०मी० रु० 27104/- प्र०व०मी० रु० 20328/- प्र०व०मी०
16	गुप हाजसिंग भूखण्ड दुकानें	1/16 2/16, 3/16 4/16, 5/16, 6/16 7/16 8/16 9/16 10/16 11/16 12/16	13.83 व०मी० 12.60 व०मी० 8.07 व०मी० 7.62 व०मी० 9.69 व०मी० 8.88 व०मी० 7.98 व०मी० 7.04 व०मी० 6.32 व०मी०	रु० 6.57/- लाख रु० 6.33/- लाख रु० 4.05/- लाख रु० 3.83/- लाख रु० 4.87/- लाख रु० 4.87/- लाख रु० 4.99/- लाख रु० 3.54/- लाख रु० 3.18/- लाख

हाथरस योजना

सेक्टर संख्या	सम्पत्ति श्रेणी/ प्रकार/ सम्पत्ति संख्या	कुल रिक्त सम्पत्ति संख्या	क्षेत्रफल वर्ग मी० में	सम्पत्ति का अनुमानित मूल्य/ आरक्षित मूल्य (फ्री-होल्ड सहित) रु० लाख में प्रति वर्ग मी०
3	व्याव० भूखण्ड	3/1, 3/4 (कार्னர்) 3/2	240.62 व०मी० 192.50 व०मी०	रु० 11088/- प्र०व०मी० रु० 10080/- प्र०व०मी०
3	व्याव० भूखण्ड	3/3 (कार्னர்) 3/5 3/6 (कार्னர்)	246.38 व०मी० 197.75 व०मी० 237.74 व०मी०	रु० 11088/- प्र०व०मी० रु० 10080/- प्र०व०मी० रु० 11088/- प्र०व०मी०

- सिकन्दरा योजना, आगरा सेक्टर-3 स्थित सामुदायिक भूखण्ड सं०- सी०सी०-3/1 में 12.00 मी० चौड़ी रोड के सामने 6.00 मी० चौड़ी भूमि (जिसका क्षेत्रफल लगभग 264.60 व०मी०) पार्किंग स्थल हेतु छोड़ना आवश्यक है तथा यह भूमि कुल क्षेत्रफल में सम्मिलित है।
- कन्वीनियन्ट भूखण्ड सं०-12डी/एस-1, एस-2, एस-3 व एस-4 में पार्किंग हेतु ले-आउट में दर्शाई गई भूमि का मूल्य भी आवेदक को स्वीकृत उच्चतम बोली की दर से भुगतान करना होगा।

:: पात्रता सूचना ::

आगरा जोन के अधीन दिनांक 24.12.11 से 23.01.12 तक सामान्य पंजीकरण-2011 (प्रथम चरण) के अन्तर्गत निम्नलिखित योजनाओं हेतु खोले गये पंजीकरण के विरुद्ध प्राप्त आवेदकों के मध्य दिनांक 28.09.2012 का आवंटन/ नीलामी परचात लाटरी ड्रा द्वारा पात्रता सूचना/आवंटन संबंधी कार्यवाही सम्पन्न की जायेगी। उक्त पात्रता सूचना/आवंटन संबंधी कार्यवाही उक्त तिथि को पूर्ण रूप से सम्पन्न न होने पर अगली दिनांक 29.09.2012 को भी समय 10.30 बजे से पूर्व निर्धारित स्थल पर विधिवत सम्पन्न की जायेगी।

योजना का नाम/सेक्टर संख्या	पंजीकरण में प्रस्तावित सम्पत्तियों का विवरण/संख्या	पात्रता सूचना तिथि
सिकन्दरा योजना आगरा, सेक्टर-1	छोटे आवासीय भूखण्ड - 43 नग	28.09.2012
योजना सं०-1 शिकोहाबाद, सेक्टर-2	छोटे आवासीय भूखण्ड - 224 नग	29.09.2012
योजना सं०-1 शिकोहाबाद, सेक्टर-3	बड़े आवासीय भूखण्ड (288.00 व०मी० तक) - 17 नग	29.09.2012
योजना सं०-1 शिकोहाबाद, सेक्टर-3	बड़े आवासीय भूखण्ड (162.00 व०मी० तक) - 74 नग	29.09.2012
योजना सं०-1 शिकोहाबाद, सेक्टर-3	बड़े आवासीय भूखण्ड (127.00 व०मी० तक) - 37 नग	29.09.2012
सुहागनगर योजना, फिरोजाबाद	छोटे आवासीय भूखण्ड - 23 नग	28.09.2012
योजना सं०-2, सेक्टर-1, बुलन्दशहर	छोटे आवासीय भूखण्ड (70 व०मी० तक) - 48 नग	29.09.2012
योजना सं०-2, सेक्टर-1, बुलन्दशहर	छोटे आवासीय भूखण्ड (42 व०मी० तक) - 64 नग	29.09.2012

आवंटन हेतु आवेदन - पत्र का प्रारूप: (1) योजना/शहर का नाम..... (2) भवन/भूखण्ड संख्या व क्षेत्रफल..... (3) आवेदक का नाम..... (4) पिता/पति का नाम..... (5) पत्र व्यवहार का पता..... (6) दूरभाष/मोबाइल नं. (7) आरक्षण श्रेणी..... (8) राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित प्रमाण-पत्र संलग्न करें) (9) संलग्न किये गये बैंक ड्राफ्ट संख्या..... दिनांक (10) निर्गत कर्ता बैंक का नाम..... धनराशि..... (11) भुगतान का विकल्प..... आवेदक का नाम..... आवेदक का हस्ताक्षर..... तिथि..... स्थान.....

नीलामी प्रक्रिया में सील बिड का प्रारूप: योजना/शहर का नाम सम्पत्ति की संख्या व क्षेत्रफल आरक्षित मूल्य उच्चतम मूल्य आफर मूल्य/दर (जिस पर आवेदक सम्पत्ति चाहते हैं) टोकन के रूप में बयाना धनराशि रु० बैंक ड्राफ्ट संख्या दिनांक नाम पिता/पति का नाम आरक्षण श्रेणी (राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित प्रमाण-पत्र संलग्न करें) पत्र व्यवहार का पता दूरभाष/मोबाइल नं० ई-मेल आई०डी० दिनांक/स्थल नाम-पिता/पति का नाम-संस्थान/फर्म/कम्पनी का नाम पूरा पता

घोषणा पत्र का प्रारूप (आवेदन एवं सील बिड दोनों के साथ नोटरी द्वारा सत्यापन सहित आवश्यक): 1. मैंने स्थल पर सम्पत्ति को देख लिया है। मैं पूर्ण रूप से सन्तुष्ट हूँ, सम्पत्ति जहाँ है, जैसी है, के आधार पर लेने के लिए सहमत हूँ। 2. मेरे, मेरे पति/पत्नी अथवा अत्यस्क बच्चों के नाम सम्बन्धित शहर में कोई भवन/भूखण्ड नहीं है एवं उ०प्र० के किसी अन्य नगर में एक से अधिक आवासीय भवन/भूखण्ड नहीं है। 3. मेरे, मेरे पति/पत्नी अथवा अत्यस्क बच्चों की गत वित्तीय वर्ष 2011-2012 की समस्त स्रोतों से आय रु० से अधिक नहीं है। 4. मुझे उत्तर प्रदेश के आवास एवं विकास परिषद के सभी अध्यावधिक प्रभावी नियम व शर्तें मान्य हैं।

नियम व शर्तें:- 1. आवेदन/सील बिड सम्बंधित शहर/योजना के स.प्र. कार्यालय/जोन कार्यालय से भी रु. 10.00/- जमा करके प्राप्त किया जा सकता है। 2. सील बिड/आफर अंकित करते हुये रु. 10.00/- के बैंक ड्राफ्ट (आवेदन/सील बिड फार्म कार्यालय से न लेकर उपरोक्त प्रारूप पर तैयार कर जमा करने की दशा में) एवं व्यवसायिक सम्पत्तियों हेतु 10 प्रतिशत तथा आवासीय सम्पत्तियों हेतु 5 प्रतिशत टोकनमनी सहित नीलामी से एक दिन पूर्व (कार्यदिवस) तक सम्बंधित कार्यालय/जोन कार्यालय में डाक द्वारा अथवा व्यक्तिगत रूप से प्राप्त होना आवश्यक है। 3. आवंटन हेतु आवेदन पत्र तथा नीलामी हेतु सील बिड सम्बंधित शहर/योजना के लिए उल्लिखित सम्पत्ति प्रबंध कार्यालय में अथवा जोन कार्यालय में निम्न पत्र पर प्राप्त कराया जा सकता है:- 1. कार्यालय संयुक्त आवास आयुक्त, ऑफिस कॉम्प्लेक्स, कमला नगर, आगरा। 2. सम्पत्ति प्रबंध कार्यालय, उ.प्र. आवास विकास एवं विकास परिषद, शांतिगंज कम ऑफिस कॉम्प्लेक्स सेक्टर-9 सिकन्दरा योजना आगरा। 3. सम्पत्ति प्रबंध कार्यालय, उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद, सुहाग नगर योजना शिकोहाबाद/फिरोजाबाद। 4. सम्पत्ति प्रबंध कार्यालय, उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद, सोरों रोड, कासगंज। 5. सम्पत्ति प्रबंध कार्यालय, उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद, एमआईजी/3/69, आवास विकास कालोनी, हाथरस। 6. सम्पत्ति प्रबंध कार्यालय, उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद, योजना सं.-1 मैनपुरी। 7. सम्पत्तियों की संख्या एवं मूल्य में कमी अथवा वृद्धि हो सकती है। 8. आवासीय सम्पत्तियों का आवंटन शरणादेश/परिषद के प्रदेश सम्बंधी विनियम एवं आदेशों के अनुसार आवेदकों के मध्य लाटरी पद्धति से किया जायेगा। किन्तु जिन सम्पत्तियों का नीलामी से होने का उल्लेख है उन्हें नीलामी पद्धति से निस्तारित किया जायेगा। 9. आवासीय सम्पत्तियों हेतु सम्पत्ति के मूल्य का 5 प्रतिशत का पंजीकरण बैंक ड्राफ्ट/पे-ऑर्डर जो 'उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद' के पक्ष में सम्बंधित नगर में भुगतान योग्य देय हो, के साथ, निर्धारित प्रारूप पर आवेदन-पत्र दिनांक 26.09.2012 तथा सील बिड दिनांक 27.09.2012 को सांय 5.00 बजे तक उपरोक्त पत्र पर प्राप्त हो जाने चाहिए अथवा नीलामी के समय टोकन प्राप्त कर खुली बोली में भाग लिया जा सकता है। 7. अपूर्ण एवं सशर्त आवेदन-पत्र स्वीकार नहीं होंगे। 8. सम्पत्ति वर्तमान परिस्थितियों में 'जहाँ है, जैसी है' के आधार पर आवंटित की जायेगी। सम्पत्ति के लोकेशन/आकार या स्थलीय के आधार पर बाद में कोई भी दावा स्वीकार नहीं किये जायेंगे। 9. सम्पत्ति का कब्जा देय भुगतान के बाद ही नियमानुसार निर्धारित स्टॉप पेपर पर अनुबंध/विक्रय उपरान्त किया जायेगा। 10. नवविकसित सम्पत्तियों में उपलब्धता की स्थिति में गुणवत्ता का सुविधा नियमानुसार अनुमत्य होगी। 11. सम्पत्तियों का विस्तृत विवरण एवं शर्तों की जानकारी हेतु सम्बंधित सम्पत्ति प्रबंध कार्यालय/जोन के कार्यालय से सम्पर्क किया जा सकता है अथवा परिषद की वेबसाइट www.upavp.com पर पब्लिक नोटिस के अन्तर्गत देखी जा सकती है। 12. समस्त प्रकरणों में परिषद के अध्यावधिक नियम एवं शर्तें प्रभावी होंगी। किसी भी विवाद की स्थिति में आवास आयुक्त का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।

आवास आयुक्त

परिषद ने ग्राहकों की शिकायतों एवं समस्याओं के निस्तारण के लिए **जन सुविधा केन्द्र** की स्थापना की है जिसमें आप फोन द्वारा अपनी शिकायत व समस्या दर्ज करा सकते हैं।

यह सेवा प्रत्येक कार्य दिवस में
प्रातः 10:00 बजे से सायं 5:00 बजे तक उपलब्ध है

डायल करें
1800-180-5333 (टोल-फ्री)
0522-2236803



(आई.एस.ओ. 9001 : 2001 प्रमाणित संस्था)
उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद
104, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ
website: <http://www.upavp.com>; E-mail: upavp@sancharnet.in

